Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 157 : Recovery from surety

Where any person has become surety for the amount due by the defaulter, he may be proceeded against under this Chapter as if he were the defaulter.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 157 : प्रतिभू से वसूली जहां कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी पर शोध्य रकम के लिए प्रतिभू बना है, वहां इस अध्याय के अधीन उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी, जैसे कि वह व्यतिक्रमी हो।